# मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा की 5 हजार मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन मांगा

## केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने सौर ऊर्जा में राज्य के सराहनीय प्रदर्शन पर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया

जयपुर, 21 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी से मंगलवार को नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण एवं प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पी. एम. कुसुम योजना 2.0 के तहत 5 हजार मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

शर्मा ने जोशी को अवगत कराया कि प्रदेश में इस योजना के घटक-ए में अब तक 457 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा 3200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं।

केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष में किए गए राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान, पी. एम. कुसुम योजना के घटक-ए के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी बना है। साथ ही, घटक-सी में विक्रेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम हुआ है, जो बेहद सराहनीय है। जोशी ने कुसुम 2.0 के तहत प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में केन्द्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया।

*मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा*

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि पी.एम. कुसुम योजना के घटक-ए में अब तक 457 मेगावाट के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं व 3200 मेगावाट के कार्यादेश जारी हो चुके हैं।**

## दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जैड प्लस सुरक्षा मिली

नयी दिल्ली 21 अगस्त। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गयी है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर की गयी समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया। प्रोटोकॉल के तहत दो महिला निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) हर समय मुख्यमंत्री के साथ रहेंगी, जिनके साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान तैनात रहेंगे।

गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान हमला करने वाले आरोपी खिमजीभाई को कल रात राजधानी की स्थानीय तीस हज़ारी अदालत ने पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की इस दलील के बाद, कि पूरी साज़िश का पर्दाफ़ाश करना ज़रूरी है, अदालत ने आरोपी से पूछताछ के लिए हिरासत की अनुमति दी। सूत्रों के अनुसार, जांच से पता चला है कि मुख्यमंत्री पर हमला पूर्वनियोजित था।

मुख्यमंत्री पर दस्तावेज़ों से हमला करने की शुरुआती रिपोर्टों के विपरीत, पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया कि हमला कहीं ज़्यादा गंभीर था।

## जयशंकर ने मॉस्को में रूस को भारत...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

एकीकरण को और मजबूत करेंगी, जिसमें भारत भी शामिल होगा।

चीन के लिए यह स्थिति अवसर और चुनौती दोनों है। एक ओर भारत का रूस पर अधिक निर्भर होना, अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति को कमजोर करेगा, जो चीन को रोकने के लिए बनाई गई थी। दूसरी ओर, भारत चीन का प्रतिद्वंदी भी है और वह चीन को बिना शर्त अपनाने को तैयार नहीं होगा। फिर भी, अमेरिका की नीतियों से चीन को भारत पर दबाव बनाने का ज्यादा मौका मिल रहा है।

अमेरिका के लिए यह शुल्क युद्ध एक चेतावनी है। भारत को दंडित करने की कोशिश में वह अपनी 20 साल पुरानी साझेदारी को ही नुकसान पहुँचा रहा है। क्वाड, इंडो-पैसिफिक सहयोग और रक्षा तालमेल, ये सब भरोसे पर टिके हैं। अगर भारत को महसूस होगा कि वो घिर गया है, तो वह संतुलन के लिए रूस और अप्रत्यक्ष रूप से चीन पर झुकेगा।

जयशंकर का मॉस्को संदेश सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि बदलते भू-राजनीतिक समीकरण का था। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत-रूस का व्यापार सीमित है और विविधता लाने की ज़रूरत है। असल बात यह है कि भारत किसी एक साथी पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता, खासकर उस पर जो शुल्क लगाकर आपसी संबंधों को हथियार बना दे। भारत को सज़ा देने की कोशिश में अमेरिका ने वही प्रक्रिया तेज़ कर दी है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर है, यूरेशियाई ताकतों का संगठित होना और अमेरिकी प्रभाव का कमजोर होना। भारत, रूस और चीन असहज साझेदार भले ही हों, लेकिन, अमेरिका की गलतियों ने उन्हें साझा ज़मीन दे दी है। यही नया वैश्विक समीकरण तय करने वाला मोड़ हो सकता है।

## ट्रंप ने यूक्रेन-रूस युद्ध...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

तरीका माना गया। रूस के खाद्य मंत्रालय ने ज़ेलेंस्की का नाम तक नहीं लिया और यूक्रेन सरकार को "नाज़ी शासन" बताया। उनका कहना है कि यूक्रेन में नए चुनाव कराए बिना कोई बातचीत नहीं होगी। इसे शांति प्रक्रिया से भागने का बहाना माना जा रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा कि यूरोपीय नेता ज़मीन अदला-बदली समझौते की स्थिति में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर विचार कर रहे हैं। रूस पहले ही यूक्रेन के पाँचवे हिस्से पर कब्जा कर चुका है और और भी बड़े क्षेत्रों की मांग कर रहा है।

ऐसा लगता है कि शांति प्रक्रिया वहीं की वहीं है जहाँ शिखर वार्ता शुरू हुई थी और अब टकराव और बढ़ सकता है। संभावना है कि पश्चिमी देश, जिन्हें "कोअलिशन ऑफ द विलिंग" कहा जाता है, यूक्रेन को और हथियार दे सकते हैं, खासतौर से लंबी दूरी के हमलावर हथियार। पहले ही यूक्रेन ने ड्रोन तकनीक से रूस की रक्षा व्यवस्था को काफी नुकसान पहुँचाया है। हाल ही में उसने रूस की प्रमुख तेल कंपनी की सुविधाओं पर हमले किए, जिससे कई पश्चिमी देशों की सप्लाई प्रभावित हुई। यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर तक पहुँच गए और कई महत्वपूर्ण रूसी रक्षा ठिकानों को निष्क्रिय कर दिया। खास बात यह है कि ये ड्रोन छोटे-छोटे यूक्रेनी उद्यमों ने खुद बनाए, बिना किसी बाहरी मदद के।

अमेरिका का रुख पूरी तरह बदल गया है, क्योंकि रूस ने ट्रंप के सारे शांति प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इससे पुतिन को शानदार आतिथ्य देने के बावजूद, ट्रम्प को कोई सफलता नहीं मिली। अब लगता है कि पुतिन खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। उन्होंने यूक्रेन में सीधी जीत पर अपनी साख दांव पर लगा दी है। लेकिन पश्चिमी देशों के एकजुट होने से उनकी जीत की संभावना और कम हो गई है।

## फ्रांस के राष्ट्रपति ...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

पुष्टि की। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी समर्थन व्यक्त किया।

## सुदर्शन रेड्डी ...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

कार्यालय में नामांकन करने के लिए पहुंचे। मोदी इस चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं। रेड्डी ने चार सेटों में नामांकन पत्र दायर किया। प्रत्येक सेट पर उनके समर्थन में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों ने हस्ताक्षर किये हैं। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, गठबंधन के वरिष्ठ नेता शरद पवार, रामगोपाल यादव और कई अनेक नेता भी मौजूद थे। उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। चुनाव में रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन से है।

## एसआई पेपर लीक...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में आरोपित महिला राधिका सिंह (31), निवासी मोती विहार पांच्यावाला करणी विहार को गिरफ्तार किया है, जो जयपुर ग्रामीण की स्पेशल ब्रांच में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात है। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक के संबंध में साल-2024 में एसओजी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि एसआई भर्ती परीक्षा से पहले राधिका सिंह ने अपनी बहन रेणु कुमारी के साथ मिलकर पुरुषोत्तम दाधीच से 14 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया और फिर परीक्षा से पहले लीक पेपर के प्रश्नोत्तर पढ़ कर लिखित परीक्षा दी। महिला कांस्टेबल राधिका सिंह ने लिखित परीक्षा में हिन्दी विषय में 153.76 और सामान्य ज्ञान में 163.48 अंक कुल- 317.24 अंक प्राप्त किए लेकिन, इंटरव्यू में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने से अंतिम रूप में एसआई पद के लिए चयन नहीं हो पाया। पुरुषोत्तम दाधीच के साथ मिलकर राधिका ने अपने परिचित प्रवीण कुमार खराड़ी, निवासी डूंगरपुर को भी लीक पेपर पढ़वाया था। जिसका एसआई के पद पर चयन हुआ। एसओजी की ओर से मामले में आरोपी पुरुषोत्तम दाधीच और महिला कांस्टेबल की बहन रेणु कुमार को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी की ओर से मामले में अब तक 54 ट्रेनी एसआई सहित कुल 122 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके है।

## 'संविधान निर्माता जानते थे कुछ कार्यों में टाइम लाइन...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

के समाधान हैं। उन्होंने कहा थोड़ा अप्रिय तर्क देते हुए कहूंगा, हर समस्या का हल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। देश की कई समस्याओं का हल सिस्टम में ही होता है। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा, अगर राज्यपाल की निष्क्रियता को लेकर कोई राज्य सुप्रीम कोर्ट आता है, तो क्या न्यायिक समीक्षा पूरी तरह निषिद्ध है?

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह राज्यपाल की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा पर नहीं, बल्कि यह मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या कोर्ट राज्यपाल को कोई कार्य समय सीमा में करने का निर्देश दे सकती है।

सी जे आई गवई ने कहा, अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी बिना किसी कारण के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो क्या इस अदालत के हाथ बंधे हैं, तो एस जी ने उत्तर दिया हर समस्या का हल इस मंच पर नहीं हो सकता।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो फिर कानून की व्याख्या अदालत को ही करनी होगी।

एस जी ने कहा, न्यायिक समीक्षा एक बात है, लेकिन संविधान में शब्द जोड़कर उसकी व्याख्या करना अलग बात है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा, आप कहते हैं कि हम समयसीमा तय नहीं कर सकते, लेकिन कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए जिससे काम आगे बढ़ सके।

तुषार मेहता ने कहा, "माई लॉर्ड्स जिस बात से सही रूप में पीड़ित हैं, वह है समय-सीमा तय करने का औचित्य, लेकिन यह औचित्य न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार (अधिकार क्षेत्र) नहीं देता। हमारे पास ऐसे मामलों की बाढ़ नहीं है। हाँ, कुछेक राज्यों ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं। अगर यही समस्या है, तो यह सही हो सकती है, लेकिन उसका समाधान संसद के पास है।

माई लॉर्ड्स ने भी कहा है कि इस पर संसद से अनुरोध किया जा सकता है, इसके मद्देनजर हम संसद से प्रार्थना करते हैं, लेकिन योअर लॉर्डशिप कोई आदेश नहीं देते, जज कभी भी किसी समकक्ष संवैधानिक पदाधिकारी को आदेश नहीं देते। यही है संवैधानिक शिष्टाचार।"

सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि संविधान में कम से कम 31 स्थानों पर स्पष्ट रूप से समय-सीमा का उल्लेख किया गया है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि उन कार्यों को समयबद्ध किया जाना आवश्यक है। जहाँ समय-सीमा नहीं दी गई है, उसे एक सोच-समझकर किए गए एक्शन के रूप में देखा जाना चाहिए।

मेहता ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 200 और 201 में समयसीमा का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए न्यायालय वहाँ समयसीमा नहीं जोड़ सकता।

एस जी ने यह भी कहा कि "तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में यह कहना कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत कोई विवेक नहीं है, शमशेर सिंह और नबम रेबिया जैसे केस में बड़ी बैंच के फैसलों के विपरीत है। बी के पवित्र में जो कहा गया कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति को बिल भेजने का विवेक है, उसे भी गलत ढंग से घोषित किया गया।

उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम नम्बुदरी केस में पांच-न्यायाधीशों की बैंच के निर्णय, जिसमें राज्यपाल को किसी विधेयक पर निर्णय देने का आदेश देने से इंकार किया गया था, को भी नज़रअंदाज़ किया गया।

सॉलिसिटर जनरल ने सवाल उठाया, क्या संसद कल यह कानून पारित कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट 600 पन्नों से ज्यादा का फैसला नहीं लिखेगा? या फिर संसद ऐसा कानून बना दे कि अगर मुकदमा तय समय में पूरा नहीं हुआ, तो आरोपी को बरी मान लिया जाएगा?

## सतीश गोलचा ...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

को एस बी के सिंह के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गयी है। होम गार्ड के महानिदेशक सिंह को इसी महीने एक तारीख को दिल्ली पुलिस के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। गोलचा 1992 बैच के पुलिस अधिकारी हैं और अभी महानिदेशक (जेल) के पद पर कार्यरत हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908